तत्काल/अत्यावश्क

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26–अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

कमांक–बी–6/खाद्य/नियमन/368 /997 भोपाल,दिनांकः 22-1–2014

प्रति,

संयुक्त संचालक/उपसंचालक,
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय .....

विषयः– खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2011 की परिधि से कृषि उपज व्यापारियों को बाहर रखने बावत् ।

–––––000–––––

म0प्र0 अनाज दलहन तिलहन महासंघ इन्दौर द्वारा केन्द्र शासन के खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2011 के प्रावधानों से उन्हें (प्रदेश की कृषि उपज मंडियो के लायसेसी व्यापारियों को) मुक्त करने हेतु राज्य शासन से मांग की गयी है और इस मांग के समर्थन में दिनांक 20 जनवरी, 2014 से प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में किसानों के द्वारा लाई गई अधिसूचित कृषि उपज को ऐन केन प्रकरेण कारण र्दशाकर निलामी में भाग नही लिया जा रहा है जिसके कारण किसानों में असंतोष की स्थिति निर्मित होने की संभावना है ।

जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि केन्द्र सरकार के द्वारा ''खाद्य अपमिश्रण एवं निवारण अधिनियम, 1954 के स्थान पर खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2011'' लागू किये गये हैं। यह केन्द्रीय कानून है एवं राज्यों में इसका कियान्वयन आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा किया जाता है।

आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, म0प्र0 ने अपने पत्र कमांक–3/खाद्य/2/34/248 दिनांक 20.01.2004 के द्वारा ''खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006'' का प्रदेश में कियान्वयन किये जाने के संदर्भ में जो पत्र लिखा गया है उसकी प्रतिलिपि संलग्न है जिसका अवलोकन करें और इस संदर्भ में निम्नांकित कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करें :–

1– जिला कलेक्टर से **आज ही** संपर्क कर जिला खाद्य नियंत्रक कार्यालय के सक्षम अधिकारी को जिले की प्रत्येक मंडी समिति में ''खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2011 '' के प्रावधानों से किसानों एवं मंडी के लायसेंसी व्यापारियों को अवगत कराये जाने हेतु कार्यशाला/संगोष्ठी का आयोजन किया जाये और आयोजित कार्यशाला के कार्यवाही विवरण को रिकार्डस के लिए तैयार किया जाये।

2– कृषि उपज मंडियो के लायसेसी व्यापारियों के कथित आन्दोलन से किसानो को असुविधा ना हो इसके लिये नियमानुसार सभी कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करायें ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(महेन्द्र ज्ञानी)
प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक–बी–6/खाद्य/नियमन/368/998 **भोपाल,दिनांक 22–1–2014**

1– अपर मुख्य सचिव, सह कृषि उत्पादन आयुक्त म0प्र0 शासन, मंत्रालय, भोपाल।

2– प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल।

3– आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, भोपाल (म0प्र0)।

4– कलेक्टर, जिला ....

प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

कार्यालय आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक,खाद्य एवं औषधि प्रशासन,
मध्यप्रदेश

क्रमांक:3 / खाद्य / 2 / 34/248 भोपाल,दिनांक 20.1.2014

प्रति,

आयुक्त,
मण्डी बोर्ड,
भोपाल

विषयः– खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का कियान्वयन।

आप अवगत हैं कि खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 देश में दिनांक 5 अगस्त, 2011 से लागू हो चुका है। इस अधिनियम के अन्तर्गत रूपये 12 लाख वार्षिक टर्न ओवर करने वाले खाद्य व्यवसायियों को पंजीयन एवं रूपये 12 लाख से अधिक वार्षिक टर्न ओवर करने वाले खाद्य व्यवसायियों को लायसेंस लेना अनिवार्य है। पंजीयन / लायसेंस लेने को अंतिम तिथि को भारत सरकार द्वारा बढ़ाया जाता रहा है। अब इसकी समयावधि दिनांक 4.2. 2014 को समाप्त हो रही है। भारत सरकार ने इस समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाने के स्पष्ट संकेत दिये हैं।

2. खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत प्रत्येक खाद्य पदार्थ के लिये मानक निर्धारित है, जिनका खाद्य व्यवसायियों द्वारा पालन करना अनिवार्य है। कृपया इस अधिनियम से संबंधित प्रावधानों से अपने अधीन मण्डी समितियों को अवगत कराने का कष्ट करें।

(डी.डी.अग्रवाल)
आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं
नियंत्रक,खाद्य एवं औषधि प्रशासन,म.प्र.